उत्तराखंडः मामले, खाता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

स.का.पि. 183(अ).—केंद्रीय सरकार, विभिन्न माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की घर्ष 52 की
उप-धारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रत्येक राज्यों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारम्भक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विभिन्न माप विज्ञान (मॉडल का अनुमोदन)
नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल 2011, को प्रयुक्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से विभिन्न माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (1010 का 1) अधिनियम है;

(ख) 'मॉडल' से, बाट या माप का, ऐसा अंतम भौतिक रूप अधिप्रेत है, जिसके उन सभी संगठन का, जो उसे
अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपयोग, आवश्यक माप विज्ञान संबंधी और तकनीकी
विशेषताएं तथा गुण प्रदान करते हैं, उपयुक्त रूप से जोड़े गए हैं ताकि निधियत सहायता देने के अधीन प्रारंभ बाट अथवा
माप, जो ऐसे मॉडल के अनुसार बनाया गया हो, डायरेक्शन, निर्देश, धाराविधि विधि तथा अन्य माप विज्ञान और
tकनीकी विशेषताओं के संबंध में एक समान हों;

(ग) 'प्रावधान अधिकारी' से प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी अधिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहो सर्वाधिक
होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. प्रयोगशालाओं के संबंध में सामान्य उपबंध: (1) मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई प्रयोगशाला किसी मॉडल के अनुमोदन के लिए कोई भी परीक्षण करेगी।

(3) किसी प्रयोगशाला का बाट अथवा माप के किसी मॉडल को आवंटित करने में निदेशक ऐसे मॉडल के अनुमोदन के लिए उस प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं के अस्तित्व अथवा अन्यथा को ध्यान में रखेगा।

4. प्रयोगशालाओं की मान्यता: (1) किसी बाट अथवा माप के मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण करने हेतु इन नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक प्रयोगशाला समय-समय पर यथा अधिसूचित प्रत्य के निदेशक को एक आवेदन करेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्देश प्रत्येक आवेदन प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) जब प्रयोगशाला की मान्यता के लिए उप नियम (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, तो निदेशक मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले अपने एक या एक से अधिक अधिकारियों को प्रयोगशाला में भेजेगा और रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि प्रयोगशाला -

(क) में आवश्यक माप उपकरण, परीक्षण सुविधाएँ हैं और अनुसरित भवन समुचित दश में है;

(ख) में संबंधित बाट अथवा माप के मॉडल के अनुमोदन की सिफारिश करने के लिए परीक्षण करने के लिए आवश्यक अहंतप्राप्त कर्मचारी, घटक हैं;

(ग) उपयुक्त वातावरण में स्थित है;

(घ) में उपयुक्त रिकार्डिंग प्रणाली है;

(ड) शीघ्र, दक्ष और पर्याप्त सेवा दे सकती है; और

(प) निदेशक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर अपने उपकरणों को आवधिक रूप से सत्यापित करवाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं;

(ग) क्या नेशनल एक्सिडेंटियन बोर्ड ऑफ लेक्टरीज (एन ए बी एल) द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र उस पैरामीटर या क्षेत्र में है जिसमें मॉडल परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) निदेशक उसके अधिकारियों अथवा उप नियम (3) में निर्देश अधिकारियों द्वारा उसको दी गई सूचना पर विचार करने के बाद और यदि आवश्यक हो, तो प्रयोगशाला का दौरा करने के बाद आवेदक प्रयोगशाला को मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसमें वे शरीर और निवंधन...
जिनके अधीन रहते हुए मान्यता दी गई है तथा वह कोई संख्या जो प्रयोगशाला को दी गई है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जहां प्रयोगशाला की मान्यता के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसा आवेदन किया गया, किन्तु उसका निपटान नहीं किया गया है, वहाँ निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना नितांत आवश्यक है, तो प्रयोगशाला के प्रभारी प्रधान अधिकारी की सहमति से उस प्रयोगशाला को मान्यता का अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जो निदेशक की राय में उप नियम (3) की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है और इस प्रकार जारी किया गया अंततंत्र प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(6) प्रयोगशाला द्वारा उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का पालन करने में चूक अथवा विफलता की दशा में निदेशक द्वारा प्रयोगशाला को प्रदान किए गए मान्यता प्रमाण-पत्र को निलंबित किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि प्रयोगशाला को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर दिए जाने के बाद के सिवाय ऐसा निलंबन नहीं किया जाएगा।

(7) जहां किसी प्रयोगशाला को मान्यता के प्रमाण-पत्र को उप नियम (6) के अधीन निलंबित किया जाता है, वहाँ निलंबन के आदेश को तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक उन निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में चूक अथवा विफलता को दूर नहीं कर दिया जाता जिनके लिए निलंबन किया गया था।

(8) निदेशक अथवा उसका प्राधिकृत अधिकारी जब कभी अपेक्षित हो, प्रयोगशाला का दौरा कर सरकारें और प्रधान अधिकारी निरीक्षणों की अनुमति देगा तथा मॉडल परीक्षण के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने सहित उस प्रयोगनार्थ सभी सहायता प्रदान करेगा।

(9) प्रधान अधिकारी, उनके द्वारा परीक्षित मॉडलों, संघीय पीस, प्रयोक्त परीक्षण में लिए गए समय तथा ऐसे अन्य संगत विवरणों के संबंध में निदेशक को वांछित रूप से एक रिपोर्ट भेजेगा।

(10) प्रधान अधिकारी, मॉडल परीक्षण के समय ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएगा जो निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई हो।

(11) किसी प्रयोगशाला को प्रदान किए गए मान्यता के प्रमाणपत्र को निदेशक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, यदि प्रयोगशाला की परिस्थितियां ऐसी हों कि उससे एक मान्यताप्राप्त
प्रयोगशाला के रूप में युक्तियुक्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती हो अथवा यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण हों कि प्रयोगशाला भूमि संत्यावहारी की दोषी है।
परन्तु संवद्य प्रयोगशाला को प्रस्तावित कार्यवाह के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाने के बाद के सिवाए मान्यता का प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अंद्रेयाण-III

मॉडलों का अनुमोदन

5. मॉडलों के अनुमोदन के लिए आवेदन: (1) मॉडल के अनुमोदन के लिए आवेदन निदेशक को किया जाएगा और उससे निम्नलिखित बातें होगी:-
(क) आवेदक का पूरा नाम और पता अथवा जहाँ मॉडल अन्य देशों से आयात किया गया हो, विनिर्माता तथा भारत में व्यौहारी का नाम और पता;
(ख) बाट अथवा माप का संस्किप्त विवरण, उसके संबंधित वर्ग तथा संभावित प्रयोग, जिसके लिए बाट अथवा माप को बनाया जाना आवश्यक है;
(ग) बाट अथवा माप की माप विज्ञान और तकनीकी विशेषताओं तथा गुणों के बारे में आंककर;
(घ) विनिर्माता द्वारा अपनाई गई परीक्षण प्रक्रिया;
(ङ) बाट अथवा माप का ट्रेड नाम या ब्रांड नाम तथा किस्म; और
(च) नियम 19 में निर्दिष्ट अपेक्षित पत्र

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित की कम से कम 2 प्रतियां होगी:-
(क) ऐसे बाट अथवा माप की सामान्य व्यवस्था और संश्लेषण का एक स्केच और खण्डवार डाइग्राम जिसमें बाट अथवा माप का ऐसी रीति से निर्माण के ब्यौरे सहित जो इसके तैयार रूप में बाट अथवा माप को देखा जा सके; और
(ख) एक दस्तावेज जिसमें निम्नलिखित का वर्णन हो, अर्थात् -
(i) बाट अथवा माप के निर्माण के सिद्धांत और प्रचालन की पद्धति;
(ii) बाट अथवा माप के किसी कपटपूर्ण अथवा अशुद्ध प्रचालन के निवारण के लिए उपलब्ध कराई गई सुरक्षा युक्तियाँ;
(iii) बाट तथा माप को समायोजित करने अथवा शुद्ध करने का तरीका और विस्तार;
(iv) वह स्थान जहाँ सत्यापन स्ट्रॉम्प अथवा मोहर, या दोनों लगाई जा सके;
(v) बाट अथवा माप के सामान्य त्यागशंका की योजनाएं और संस्थापना की झाड़ी, तथा जहां अवधारण वितरित स्थापित अनुदेश हो; नीचे के दो फोटोग्राफ, जिसमें स्पष्ट रूप से मॉडल के अनुमोदन के प्रमाण-पत्र के एक भाग के रूप में सम्मिलित की जाने वाली अनिवार्य धोषणाएं दी गई हों;
(vii) वास्तविक सफेद डायग्राम (डिजिटल प्रकार के लिए);
(viii) उपस्थित पर वे स्थान जहाँ पर कपटपूर्ण व्यवहारों के निवारण के लिए सत्यापन स्ट्रॉम्प अथवा मोहर या दोनों को लगाया जा सके;
(ix) उपयोगकर्ता मैनुअल, मुद्रित पत्रकल्पस तथा अन्य साहित्य की प्रतियां;
(x) कोई अन्य सूचना, जिसको आवेदक कार्यनिष्पादन के आंकलन के लिए तथा मॉडल के अनुमोदन को सुनहर बनाने के लिए उपयोगी समझे।

(3) यदि बाट अथवा माप में पूरक अथवा अतिरिक्त उपस्थित का उपबंध किया गया है तो ऐसे पूरक अथवा अतिरिक्त उपस्थित का संबंध में पूरी जानकारी यथा उक्त बाट अथवा माप के संबंध में झाड़ीं, वितरण, भी आवेदक के साथ दिया जाएगा।

6. बाट अथवा माप के मॉडलों को प्रस्तुत करना – (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो बाट अथवा माप के किसी मॉडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है (जिसको इस नियम में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के खाते में इन नियमों के नियम 19 में यथानिर्धारित प्रीत जमा कराएगा।
(2) नियम 5 में निरदेश सभी दस्तावेज निदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे, जो मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण करता है, जिससे प्रयोगशाला यह निश्चित कर सके कि ऐसे दस्तावेज उस मॉडल के अनुमोदन के लिए उसके द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों के अनुसार है या नहीं।
(3) जहां बाट अथवा माप का स्वरूप ऐसा है कि उसके भारी भरकम होने के कारण परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है वहां मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला ऐसे मॉडल का परीक्षण ऐसे स्थान पर कर सकती जैसा वह उचित समझे।

परस्तु जहां परीक्षण मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के परिसरों से भिन्न किसी परिसर पर किया जाता है तो आवेदक ऐसे परीक्षण की अवधि के लिए ऐसे परीक्षण के लिए भेजे गए व्यक्तियों
(4) आवेदक, मॉडल के अनुमोदन के लिए आवश्यक परीक्षण करने के प्रयोजन से मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के दल को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिनकी उनके द्वारा अपेक्षा की गई हो।

(5) मॉडल की स्थापना परीक्षण और हटाया जाना आवेदक की लागत और जोखिम पर होगा।

(6) केंद्रीय सरकार और मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, मॉडल के जांच और परीक्षण के दौरान होने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

(7) जहां अनुमोदन के लिए किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत किए गए किसी मॉडल को आवेदक द्वारा ऐसे मॉडल के संबंध में अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने अथवा मना किए जाने की तारीख से 6 महीने समाप्त होने के बाद हटाया नहीं जाता है तो ऐसा मॉडल केंद्रीय सरकार के पास जब तक हो जाएगा और सरकार मॉडल का ऐसे तरीके से निपटान करेगी जैसा यह ठीक समझे।

(8) निदेशक का यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी मॉडल के अनुमोदन के लिए परीक्षण में तीन महीने से अधिक समय लगने की संभावना है और प्रयोगशाला से संतोषजनक प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वह प्रमाण-पत्र में यूथविनिर्देश ऐसी शर्तें के अधीन विनिमयात्मक को एक अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जिससे विनिमयात्मक अपने जोखिम पर उस बाट अथवा माप का विनिमय चाहे जिसके संबंध में अनुमोदन के लिए मॉडल प्रस्तुत किया गया हो।

परन्तु ऐसे उपकरण के विनिमय, वितरण और बिक्री को तत्काल रोक दिया जाएगा जब निदेशक द्वारा अस्थायी मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्र आहरित कर लिया जाए।

परन्तु यह और कि यदि परिशिष्ट मॉडल अनुमोदन परीक्षण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो अस्थायी प्रमाण-पत्र द्वारा समाधिलित किए गए और बाजार में बेचे गए सभी उपकरण विनिमयात्मक की लागत पर तत्काल आहरित कर लिया जाएगा।

7. मॉडल अनुमोदन के लिए परीक्षण: (1) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किसी मॉडल की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के आंकलन के लिए जरूरी परीक्षण प्रयोग की सामान्य शर्तें के
अधीन किए जाएंगे चाहे वे वास्तविक हों अथवा उन्मूलित, या बात अथवा माप तथा वे निन्दनिलिखित हटि से किए जाएंगे :-

(क) यह निश्चित करना कि ऐसे मॉडल अधिनियम और नियमों के द्यारा अथवा उनके अधीन ऐसे मॉडलों या अंतरराष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन की सिफारिशों के संबंध में स्थापित मानकों के अनुसार है या नहीं;

(ख) ऐसे मॉडलों की शुद्धता तथा अन्य माप विज्ञान विशेषज्ञों को और गुणवत्ताओं को ऐसे कम से कम एवं नयूनतम अवधियों में प्रयोग किए जाने के बाद, जो निदेशक सामान्य आदेश द्वारा बात अथवा माप की उन श्रेणियों के संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए जिनसे मॉडल संबंधित है, बनाए रखने की क्षमता का पता लगाना;

(ग) प्रयोग की विश्लेषण परिस्थितियों के अधीन ऐसे मॉडल के कार्यनिष्पादन को निरीक्षण करना;

(घ) प्रभाव निश्चित करने वाले कारकों की समस्या घटना तथा माप विज्ञान एवं तकनीकी विशेषज्ञों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद मॉडल के माप विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञों को निरीक्षण करना;

(ङ) यह निश्चित करना कि क्या उन पर अधिनियम और नियमों के अधीन अपेक्षित अनिवार्य घोषणाएं हैं;

(च) यह निश्चित करना कि क्या उपकरण पर विनिर्दिष्ट द्वारा सुझाए गए सीमापत्र के स्थान उनके कपटपूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए प्रयोग है?

(छ) सामान्यतया मॉडल के व्यवहार को निरीक्षण करना अर्थात् उसका कार्यनिष्पादन विश्वसनीयता और कपटपूर्ण प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता को निरीक्षण करना।

(2) प्रत्येक मॉडल का परीक्षण उस परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो निदेशक द्वारा बात अथवा माप की उस श्रेणी के लिए निर्धारित की जाए जिससे मॉडल संबंधित है।

परन्तु जब तक निदेशक द्वारा बात अथवा माप की किसी श्रेणी के संबंध में परीक्षण प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तब तक बात अथवा माप की ऐसी श्रेणी से संबंधित किसी मॉडल का परीक्षण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की राय में उसके ऐसे मॉडल के संबंध में अनुमोदन के प्रमाण-पत्र की मंजूरी की सिफारिश करने में समय बनाएगी।

8. अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया: (1) परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अपने लिखित की एक रिपोर्ट अपनी इन सिफारिशों के साथ निदेशक
को भेजने कि मॉडल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं।

(2) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला किसी उपयुक्त मामले में सिफारिश करता है कि अनुमोदन अस्थायी रूप से प्रदान किया जाए जिससे वह विस्तृत परीक्षण कर सके और जहां ऐसी सिफारिश के अनुसार में अस्थायी अनुमोदन प्रदान किया जाता है वहां स्थापना और उपयोग की ऐसी परिस्थितियों में उपकरणों की ऐसी संख्या पर परीक्षण किये जाने जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों और जहां मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला ऐसा करना ठीक समझते है वहां ऐसे परीक्षणों को बात अथवा माप के उपयोग के स्थान पर जारी भी रखा जा सकेगा तथा प्रयोग के ऐसे स्थान पर परीक्षण विस्तृत होंगे और ऐसी अवधि के होंगे तथा बात अथवा माप की उत्तम संख्या पर किए जाएँ जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

(3) निदेशक मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से संबंधित मॉडल के अनुमोदन में उस प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया मंगा सकेगा।

(4) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट की जांच करने पर निदेशक जहां उसका यह अभिमत हो कि आगे कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा जहां उसका यह अभिमत है कि आगे परीक्षण की जरूरत है, रिपोर्ट को आगे के ऐसे परीक्षणों के लिए मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को वापस भेजेगा तथा उसके बाद मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला आगे के परीक्षण करने के बाद निदेशक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर विचार करने पर जहां निदेशक का यह अभिमत हो कि उस मॉडल के संबंध में अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, वह प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश केंद्रीय सरकार को भेजेगा और उस सरकार को मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उसको प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगा।

(6) यदि निदेशक द्वारा अनुमोदन के प्रमाण-पत्र अथवा अंतिम प्रमाण-पत्र को जारी करने की सिफारिश की गई हो तो केंद्रीय सरकार ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करेगी तथा निदेशक को केंद्रीय सरकार की ओर से और उसके लिए प्रमाण-पत्र को अधिकारित करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(7) उप नियम (6) के अधीन जारी कोई भी अस्थायी प्रमाण-पत्र उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा।
परन्तु मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह अस्तित्वीय प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को ऐसी अवधि तक बदल सकती है जैसी वह उचित समझे;

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार, संबंधित विनिमयात्मक द्वारा उसको किए गए किसी आवेदन पर अन्तर्गत प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को आगे की ऐसी अवधि के लिए बदल सकेगा जो वह उचित समझे। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अन्तर्गत प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षण पूरा करने में असफल है, ऐसी अवधि को बदलने की सिफारिश करने से अंतुतिकृत रूप से लोप किया है।

(8) प्रत्येक अनुमोदित मॉडल को एक कोड संख्या दी जाएगी और इस प्रकार दी गई कोड संख्या का उल्लेख अनुमोदन के प्रमाण-पत्र अथवा अंतर्गत प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो, पर किया जाएगा।

(9) जहां किसी बाट अथवा माप का मॉडल, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, अनुमोदित किया गया हो, ऐसे बाट अथवा माप के विभिन्न विभाजनों वाले मॉडलों के लिए ऐसे विभाजनों के किसी अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी जो उन्हीं सिद्धांतों और उसी सामग्री के अनुसार विनिमित होते हैं जिनसे अनुमोदित मॉडल विनिमित किए गए।

9. अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश न की जाने पर प्रक्रिया-

जहां कोई मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला किसी मॉडल के संबंध में अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश नहीं करती, तो वह निदेशक को उसके कारण विनिमित करनी, जो ऐसे कारण आवेदक को ऐसे निदेशों के साथ, जैसे वह ठीक समझे, संयुक्त करेगा और तब आवेदक निदेशक को इस आशय का अवयवावेदन कर सकेगा कि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की सिफारिश की जानी चाहिए थी और ऐसे अवयवावेदन पर विचार करने के पश्चात निदेशक या और उसे अवस्थीकरण करेगा या केंद्रीय सरकार को अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सिफारिश कर सकेगा।

10. अनुमोदन के लिए अस्तिकृत मॉडल का पुनः प्रस्तुतीकरण- (1) जहां किसी मॉडल को अनुमोदन न मिला हो, उस अस्तिकृत मॉडल को अनुमोदन हेतु यथावचक कपालतरीण के पश्चात फिर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

828 GI/11-3
(2) जाना कोई भी अस्तित्वात्मक मॉडल को अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाता है, वहां यह माना जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नियम के अधीन फीस के उद्देश्य और परीक्षण के प्रयोजन के लिए एक नया आवेदन उस मॉडल के अनुमोदन के लिए देना होगा।

11. अनुमोदन के प्रमाणपत्र का अंतर्वर्तन:
(1) अनुमोदन प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारियों भी होनी चाहिए अंतर्भाग:
(क) प्रमाणपत्र की संख्या;
(ख) मॉडल का एक संक्षिप्त विवरण;
(ग) अनुमोदित मॉडल के लिए निर्दिष्ट चिन्ह;
(घ) बाट या माप की श्रेणी;
(ङ) परीक्षण के परिणामों का संक्षिप्त विवरण;
(च) विशेष शर्त, यदि कोई हो, उन्हें विनिमय, सत्यापन और मॉडल के अनुसार बाट और माप के प्रयोग के लिए संग्रहीत, और निर्देश, आवश्यक मॉडल प्रमाणपत्र को राजपत्र में प्रकाशित करायेगा।
(4) निर्देशक, आवश्यक मॉडल प्रमाणपत्र को राजपत्र में प्रकाशित करायेगा।
(5) निर्देशक, पूर्वगामी उपनिवेशों में निर्दिष्ट सूचनाओं के केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित जरमल में भी यदि कोई हो, प्रकाशित करायेगा।

12. अनुमोदन चिन्ह:- (1) मॉडल को नियत चिन्ह में राष्ट्रीय पहचान अक्षर, अर्थात् आई एन डी, जारी किए गए वर्ष के अंतिम दो अंक (उद्दाहरण के लिए, 77), प्रयोगशाला के लिए नियत कोड संख्या और मॉडल के लिए नियत कोड संख्या अंतर्वर्तन होंगे।
(2) अनुमोदित मॉडल को नियत चिन्ह साफ तथा स्पष्ट रूप से मॉडल में उस जगह पर होगा जैसा की अनुमोदन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट हो और निर्माता अथवा विनिमय द्वारा बनाया गया प्रयोग बाट अथवा माप के अनुमोदित मॉडल के अनुसार हो: परन्तु, यदि बाट अथवा माप के अनुमोदित मॉडल का बनावट इस तरह हो कि उस अनुमोदित मॉडल के लिए नियत चिन्ह को उस पर नहीं लगाया जा सकता है (उद्दाहरण के लिए, जहां वे भंडारीय या अन्य तरह ही छोटे हों) वह चिन्ह अनुमोदन प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के साथ लगा हो। इसके अलावा,
परन्तु यह और कि, जहां अनुमोदन सीमित प्रकृति का हो, तो अनुमोदन चिन्ह को एक विशेष चिन्ह द्वारा अनुमोदन का परिसीमन दर्शित करते हुए संलग्न होना चाहिए और विभिन्न परिसीमनों के लिए भिन्न-भिन्न विशेष चिन्ह भी बनाए जा सकेंगे।

13. अनुमोदन प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण – (1) अनुमोदन के प्रमाणपत्र को रद भी किया जा सकेगा यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि;
(क) मॉडल जिसको पहले अनुमोदित किया जा चुका हो उसका अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दित एकांकों के साथ अनुपालन नहीं किया हो। या
(ख) कोई मॉडल उस मॉडल के संबंध में तत्त्वांश प्रवृत्त मानकों के अनुसार नहीं रह गया हो।
(ग) सामान्य रूप से उस मॉडल के अनुसार विनिर्दित उत्पादों (बाट अथवा योग) के प्रयोग करने के दौरान यदि विश्वसनीयता, परिशुद्धता या प्रदर्शन में बुट दिखाई देती है।
(घ) जहां विनिर्दित पूर्णता या आश्चर्य रूप से अनुमोदन के प्रमाणपत्र में विनिर्दित शर्तों का अनुपालन नहीं करता हो।
परन्तु किसी भी प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण नहीं होगा जब तक कि उस प्रमाणपत्र के धारक ने प्रस्तावित कार्यवाह के विशेष कारण दर्शित करके स्वतंत्र अस्वीकार न दे दिया हो।
(ड) जहां विनिर्दित या किसी भी व्यक्ति ने अनुमोदित मॉडल या संयंत्र डायारम के डिजाइन के साथ अभिलाभजनक पूर्णता प्रदान किया हो।

(2) जहां किसी मॉडल के अनुमोदन के प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरित कर दिया गया हो, उस मॉडल के अनुसार किसी भी बाट अथवा माप के उत्पादन को रोक दिया जाना चाहिए और उस तारीख से जैसा भी प्रतिसंहरण के उस आदेश में विनिर्दित की जाए और प्रतिसंहरण की तारीख के बीच के किसी भी समय में प्रत्येक बाट अथवा माप के निर्माण या विनिर्दित और वह विनिर्दित तारीख ऐसे प्रतिसंहरण के होते हुए भी ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख को प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार शत्यापन के अधीन होगा।
परन्तु जहां, उस सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि इस प्रकार के बाट अथवा माप के प्रयोग से बुट उत्पन्न होने की संभावना है, उस बाट अथवा माप के लिए अनुबंध से पहले कोई भी बाट अथवा माप उससे किया जाए, निदेशक, आदेश के द्वारा उस बाट अथवा माप का वाद चलाकर उस पर प्रतिबंध लगा सकेगा।
14. अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन - (1) निदेशक द्वारा मॉडल के अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन: उस प्रमाणपत्र के धारक की ओर से चूक या असफल होने की दशा में किया जा सकेगा।

(i) उस मॉडल से संबंधित प्रमाणपत्र के अनुसार, बात अथवा माप का निर्माण या विनिमय करना, या

(ii) किसी भी मॉडल के अनुसार बात अथवा माप के विनिमय के संबंध में नियमों अथवा मानकों के अनुसार बनाना, या

(iii) अनुमोदन के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपलबल करना: परन्तु प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विशेष कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के सिद्धांत इस प्रकार निलंबन नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी भी अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो, निलंबन के आदेश को तब तक तालिका नहीं लिया जाएगा जब तक कि जिसके लिए निलंबन किया गया है, विफलता की चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता है।

(3) जहाँ किसी भी अनुमोदन के प्रमाणपत्र का निलंबन उप नियम (1) के अधीन किया गया हो, संबंधित राज्य के विधिक माप विज्ञान के नियम के उपस्थित स्टॉक की एक सूची बना दी जाए, जिन्हें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आगे कोई भी विक्रय नहीं होगी वश्त्रिनिदेशक द्वारा अनुमोदन के प्रमाणपत्र के निलंबन को रद्द कर दिया जाए।

15. प्रकाशित किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रतिसंहरण और निलंबन - प्रत्येक अनुमोदन के प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन का प्रकाशित करने का आदेश, जहां तक हो सके, नियम 11 में निर्देशित तरीके से हो।

16. मॉडलों अथवा उसके चित्रों को जमा करना - (1) निदेशक किसी भी बात या माप, जिसके मॉडल को अनुमोदित किया जा चुका हो अथवा उसके चित्रों के संग्रह अथवा उसके डॉमों की मांग कर सकता है, जहां पर उसे यह लगे कि यह जनहित के लिए किया जाना आवश्यक है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार जमा किये गये अनुमोदित मॉडलों, अंगों, चित्रों अथवा डॉमों को रिकाउं और निर्देशित के प्रयोग के लिए संयुक्त रखा जाएगा और जनता द्वारा निरीक्षण के लिए नहीं खोला जाएगा ।
17. ऐसे बात या माप के लिए उपबंध जिसके मॉडल का अनुमोदन सामान्यतः आवश्यक नहीं है - (1) अधिनियम की धारा 22 के अधीन अंजित किसी बात या माप के मॉडल के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ, अंजित करने वाला अधिकारी उस बात या माप के मॉडल के परीक्षण की आवश्यकता की सूचना निदेशक को देगा और उस सूचना की प्राप्ति के बाद निदेशक यदि संतुष्ट हो जाता है कि उस बात अथवा माप के मॉडल के परीक्षण की आवश्यकता है, विनिमयात्म को उसके द्वारा निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उस मॉडल के परीक्षण के लिए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

परन्तु यदि बात अथवा माप का कोई भी मॉडल अंजित हेतु न हो, तो विनिमयात्म का यह करतव अहंकार कि वह विनिमय मांड द्वारा बात अथवा माप की क्षेत्रीय एक नमूना उच्चतर करे और निदेशक द्वारा निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा उस नमूने को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करे।

(2) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को उपनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, उन परीक्षणों के परिणामों का व्यापारी निदेशक तक भुजा दिया जाना चाहिए।

(3) यदि इन परीक्षणों के परिणामों को देखने के बाद निदेशक संतुष्ट हो जाए कि मॉडल अथवा नमूना, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित मालकों के अनुरूप नहीं है, वह विनिमयात्म को उस क्रिया को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर दूर करने के लिए बुला सकता है; और इस निर्दिष्ट समय के अंदर यदि वे क्रिया दूर नहीं की गई, विनिमयात्म का लाइसेंस, जिसका संबंध उस बात अथवा माप के विनिमयात्म से है जिसके मॉडल या नमूने का परीक्षण किया गया था, को रद किया जा सकेगा।

18. अनुकल्प सामग्रियों के परीक्षण से संबंधित प्राधिक - (1) अनुकल्प सामग्री विनिमयात्म के द्वारा विनिमय के प्रारंभ करने की तिथि से सात दिनों के अंदर निदेशक को भेज दी जानी चाहिए, जो इसे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को अनुमोदन के लिए अंजित करायेगा।

(2) जहां अनुकल्प सामग्री मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण देता भेजी जाएगी, यह प्रयोगशाला आवश्यक परीक्षण करेगा और यह निष्ठुलता करेगा कि अनुकल्प सामग्री का प्रयोग उस प्रयोजन को पूरा करे जिसके लिए उस मॉडल को अनुमोदन मिला था और यदि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला यह राय दे कि वह अनुकल्प सामग्री उपयुक्त नहीं है, तब उस मॉडल को नए मॉडल के रूप में माना जाएगा।

82861/11-4
(3) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अपने अन्वेषणों को निदेशक के माध्यम से केंद्र सरकार को अभ्रेतित करेगा।

19. बाट अथवा माप के मॉडल के परीक्षण के लिए फीस -
जब आवेदक नियमों के अनुसार आवेदन करता है तब वह प्रयोगशाला को परीक्षण मूल्य के लिए फीस निम्न प्रकार से जमा करेगा।

(i) यांत्रिक प्रकार के बाट या माप अथवा बाट और माप उपकरण के मॉडल के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पांच हजार रूपए।
(ii) डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के बाट या माप अथवा बाट और माप उपकरण के मॉडल के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दस हजार रूपए।

जो किसी भी व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए अभिप्रेत विक्रय, खरीद, वितरण, सुपुर्दगी के लिए विनिमय किए गये हों

(2) आवेदक उपनियम (1) में निर्देश के अनुसार अनुकल्प सामग्री के परीक्षण के लिए परीक्षण फीस की आधी फीस जमा करेगा।

20. बाट अथवा माप के विनिमय के लिए कब लाइसेंस जारी होगा -
(1) किसी भी बाट अथवा माप के विनिमय का आयात के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि उस बाट अथवा माप को अनुमोदन का प्रमाणपत्र केंद्रीय सरकार के अधिनियम के धारा 22 के अंशों दिया गया हो।
(2) जब किसी भी मॉडल के अनुमोदन का कोई भी प्रमाणपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया हो, राज्य सरकार द्वारा किसी भी बाट अथवा माप के विनिमय अथवा आयात हेतु जारी लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा।
परन्तु वह निलंबन रद किया जाएगा यदि उस मॉडल को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

21. निरसन और व्याप्तियाँ - (1) बाट और माप मानक (मॉडल का अनुमोदन) नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
परन्तु ऐसे निरसन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :-
(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रदर्शन या उसके अधीन जो की गई या किए जाने का लोप किया गया या उसे हुई क्षति; या

(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोद्भूत या उपग्रह कोई अधिकार, विशेषधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व; या

(ग) उक्त नियमों के विस्फोट किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई शासित, जबती या दंड; अथवा

(घ) पूर्ववर्ती अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषधिकार, बाध्यता, दायित्व, उत्तरदायित्व, शासित, जबती या दंड के संबंध में कोई अवेशण, विधिक कार्यवाही या उपाय।

और ऐसा कोई अंतर्वेश, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी अथवा नामूने किए जा सकेंगे और ऐसी कोई शासित, जबती या दंड जो अधिरोपित की जा सकेंगी यदि उक्त नियमों को विकसित नहीं किया गया।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया या की गई कोई कार्यवाही या किए जाने के लिए तात्पर्य या पत्र या प्रदर्शन छूट, संभवतः पीस, कोई न्यायनिर्णय, जांच या आरोप किया अवेशण, बाट और माप के विनिर्माताओं, व्यापारियों और आयातकों की अनुपत्ति, रजिस्ट्रीकरण, कारण बाटों नोटिस, विनियम, अवधारण, अनुमोदन, उक्त नियमों के अधीन जारी, दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रसूत है तो प्रसूत रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वे इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए, दिया अथवा किये गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए किसी आवेदन या इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाट और माप की विनिर्माताओं, आयातकों, व्यापारियों की अनुपत्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात् किसी कार्यवाही पर और उसके अनुसार में अनुपत्ति किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्यवाही उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेंगे मानों वे नियम विरलित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. देशू पप-9(6)/2010-पार्ट]
राकेश कक्कड़, विशेष सचिव
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2011

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (m) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called The Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires;
   (a) “Act” means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
   (b) “Model” means the final physical representation of a weight or measure in which all the components imparting to it the necessary metrological and technical characteristics and qualities as provided in the Act and the rules made there under are suitably assembled so that subject to prescribed tolerances, every weight or measure produced in accordance with such model may be similar as regards dimensions, constructions, material performance and other metrological and technical characteristics;
   (d) “Principal Officer” means the officer who is in charge of the laboratory;
   (2) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Recognition of Laboratories

3. General provisions relating to laboratories.—(1) The list of recognized laboratories shall be notified from time to time.
   (2) A laboratory recognized under these rules shall carry out any test for the approval of any model.
   (3) In allocating any model of weight or measure to any laboratory, the Director shall take into account the existence or otherwise of the facilities available in that laboratory for the approval of such model.
4. Recognition of Laboratories.- (1) Every laboratory desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out tests for the approval of the model of any weight or measure shall make an application to the Director in the form as may be notified from time to time.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be made by the Principal officer of the laboratory.

(3) When an application is made under sub-rule (1) for the recognition of a laboratory, the Director shall, before issuing the certificate of recognition send one or more of his officers to the laboratory and obtain a report whether the laboratory,

(a) has the necessary measuring equipment, testing facilities and buildings maintained in a proper conditions;
(b) has the necessary qualified staff, component to undertake the tests for recommending the approval of model of the concerned weight or measure;
(c) is situated in an appropriate environment;
(d) has an adequate recording system;
(e) is likely to give expeditious efficient and adequate service; and
(f) is ready and willing to get its equipment verified periodically by such other appropriate laboratory, as may be specified by the Director.

(g) has the certificate issued by the National Accreditation Board of Laboratories (NABL) in the parameter or field in which model test is proposed to be undertaken.

(4) The Director shall, after considering the information supplied to him by his officer, or officers referred in sub-rule (3) and if necessary, after a visit to the laboratory, shall issue to the applicant laboratory a certificate of recognition specifying therein the terms and conditions subject to which the recognition is granted, and the code number which has been assigned to the laboratory.

(5) Where no application for the recognition of a laboratory has been made, or where such application having been made has not been disposed of, the Director may if he is satisfied that it is urgently necessary so to do, issue, with the consent of the principal officer in-charge of the laboratory a provisional certificate of recognition to a laboratory which, in the opinion of the Director fulfils all the requirements of sub-rule(3) and the provisional certificate so issued shall be valid for one year.

(6) The certificate of recognition granted to laboratory may be suspended by the Director in the event of the omission or failure on the part of the laboratory to observe the terms and conditions specified under sub-rule (4):
Provided that no such suspension shall be made except after giving to the laboratory a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(7) Where any certificate of recognition to a laboratory is suspended under sub-rule (6), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure of compliance of terms and conditions for which such suspension was made has been made good.

(8) The Director or his authorised officer may visit the laboratory as and when required and the Principal Officer will permit inspections and render all assistance for the
purpose including the production of records with regard to model testing.

(9) The Principal Officer shall submit annually to the Director a report in respect of the models tested by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant particulars.

(10) The Principal Officer, while testing the models adopt such procedures as may be prescribed by the Director from time to time.

(11) The certificate of recognition granted to a laboratory may be cancelled by the Director if the circumstances of the laboratory are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a recognized laboratory or if there are sufficient reasons to suspect that the laboratory has been guilty of corrupt practices. Provided, that no certificate of recognition shall be cancelled except after giving to the concerned laboratory a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

CHAPTER III
APPROVAL OF MODELS

5. Application for the approval of models.- (1) An application for the approval of model shall be made to the Director and shall contain.-

(a) the full name and address of the applicant or where the model is imported from other countries, the name and address of the manufacturer as well as the dealer in India.

(b) a brief description of the weight or measure the class to which it belongs and the probable uses for which the weight or measure is intended to be produced;

(c) data regarding metrological and technical characteristics and qualities of the weight or measures;

(d) test procedure followed by the manufacturer;

(e) trade name or brand name and type of the weight or measure, and

(f) the requisite fees specified in rule 19.

(2) Every application shall be accompanied by not less than two copies of,-

(a) a sketch and section-wise drawings of general arrangements and installation of such weight or measures including therein the details of construction of the weight or measure in such manner as to enable the visualization of the weight or measures in its finished form, and;

(b) a document describing the following namely:-

(i) the principles of construction and the method of operation of the weight or measure;

(ii) the safety devices provided to prevent any fraudulent or inaccurate operation of the weight or measure;

(iii) the manner in which and the extend to which the weight or measure may be adjusted or corrected;

(iv) the place where the verification stamp or seal, or both, may be affixed;

(v) plans of general arrangements and installations drawings of the weight or measure and, where necessary detailed installation instructions;

(vi) two photographs of the model clearly indicting the mandatory declarations to be
included as a part of the certificate of approval of the model;
(vii) actual circuit diagram (for digital type);
(viii) place/places on the instrument where the verification stamp or seal or both have to be applied to prevent fraudulent practices;
(ix) copies of the user’s manual, printed pamphlets and other literatures;
(x) any other information which the applicant may consider to be useful for assessing the performance, and facilitating the approval of the model;
(3) If the weight or measures is provided with supplementary or additional devices, full information with regard to such supplementary or additional devices, such as drawing, descriptions in relation to the said weight or measures, shall also be given along with the application.

6. Submission of the models of weight or measure.- (1) Every person, who submits any model of weight or measure or weighing and measuring instrument for approval (hereinafter in this rule referred to as the applicant), shall deposit to the credit of the recognized laboratory, a fee as prescribed in the rule 19 of these rules.
(2) All the documents referred to in rule 5 shall be sent by the Director to the recognized laboratory which carries out the tests for the approval of the model, to enable the laboratory to ascertain whether such documents conform to the details of the results of the tests carried out by it for the approval of that model."
(3) Where the nature of weight or measure is such that due to its voluminous nature it cannot be submitted to the laboratory for testing, the recognized laboratory may undertake the testing of such model at such place as it may deem fit: Provided that, where the test is undertaken at any premises other than those of a recognized laboratory, the applicant shall pay for the duration of such test, the traveling and daily allowances of the persons deputed for such tests and such allowances shall be payable at such rates as may be admissible to such persons in accordance with the rules in force in the recognized laboratory.”
(4) The applicant shall provide such facilities as may be required by the team of persons deputed by the recognized laboratory for the purpose of carrying out the necessary tests for the approval of the model.
(5) The installation, tests and removal of the model shall be done at the cost and risk of the applicant.
(6) The Central Government and the recognized laboratory shall not be responsible for any loss or damage that the model may sustain the course of examination and testing.
(7) Where any model submitted to a recognized laboratory for approval is not removed by the applicant after the expiry of six months from the date on which a certificate of approval was granted or refused in relation to such model, such model shall become forfeit to the Central Government, and that Government shall dispose of the model in such manner as it may think fit.
(8) The Director may, if he is satisfied that the test for the approval of any model is likely to take more than three months and on receipt of satisfactory preliminary test reports from the laboratory, issue subject to such conditions as may be specified in the certificate, a provisional certificate to enable the manufacturer, to manufacture at his
own risk the weight or measure in relation to which the model has been submitted for approval:
Provided that manufacture, distribution or sale of such instrument shall be discontinued immediately when the provisional model approval certificate has been withdrawn by the Director.
Provided further that in case the tested model does not meet the requirements of the model approval test, all instruments covered by the provisional certificate and sold in the market shall be withdrawn with immediate effect at the manufacturer's cost.

7. Tests for the approval of model.- (1) The tests needed for the assessment of the fitness or otherwise of a model submitted for approval shall be carried out under the normal conditions of use, whether actual or stimulated, or the weight or measure and shall be made with a view to -
(a) ascertaining whether such model conforms to the standards established, in relation to such model, by or under the Act and the rules or to the recommendations of the International Organization of Legal Metrology (OIML);
(b) finding out the ability of such model to maintain accuracy and other metrological characteristics and qualities after it has been put to use for such minimum number of times or over such minimum period as the Director, may, by general order, specify in relation to the class of weight or measure to which the model pertains;
(c) determining the performance of such model under varied conditions of use;
(d) determining the metrological and technical characteristics of the model after taking into account the possible incidence of influence factors and their effect on metrological and technical characteristics;
(e) determining whether they carry the mandatory declarations required under the Act and the rules;
(f) determining whether the place or places of sealing on the instrument suggested by the manufacturer is sufficient to prevent their fraudulent use;
(g) determining generally, the behavior of the model, that is to say, its robustness, reliability and susceptibility to fraudulent use;
(2) Every model shall be tested in accordance with such test procedure as may be laid down by the Director in relation to the class of weight or measure to which such model pertains;
Provided that until the test procedure is laid down by the Director in relation to any class of weight or measure, the test of any model pertaining to such class of weight or measure shall be carried out in accordance with such procedure as would, in the opinion of the recognized laboratory, enable it to recommend the grant of certificate of approval in relation to such model.

8. Procedure for the issue of certificate of approval. - (1) After the completion of the tests, the recognized laboratory shall send a report of its findings to the Director with its recommendations whether the model satisfies the requirements of the Act and the rules made there under.
(2) The recognized laboratory may, in an appropriate case, recommend that the approval may be accorded provisionally to enable it to conduct detailed tests and where in pursuance of such recommendation, provisional approval is granted, test may be carried out on such number of instruments under such conditions of installation and use as may be specified by the Director, and the tests at such place of use shall be detailed ones and of such duration and carried out on such number of weights or measures as may be specified by the Director.

(3) The Director may require the recognized laboratory to send him the detailed test procedure adopted by that laboratory in approving the concerned model.

(4) On examination of report made by the recognized laboratory, the Director shall, where he is of opinion that no further test is required to be carried out, submit the report to the Central Government and where he is of the opinion that further tests are required, remit the report back to the recognized laboratory for carrying out such further tests, submit a report to the Director, and forthwith, require the laboratory to conduct such further tests and where he is of the opinion that a certificate of approval in relation to that model should be issued, it shall recommend to the Central Government the issue of the certificate and shall also forward to that Government a copy of the report submitted to it by the recognized laboratory.

(5) Where consideration of the report of the recognized laboratory, the Director is of the opinion that a certificate of approval in relation to that model should be issued, it shall recommend to the Central Government the issue of the certificate of approval and shall also forward to that Government a copy of the report submitted by the recognized laboratory.

(6) The Central Government may, if the issue of a certificate of approval has been recommended by the Director, issue such certificate and authorize the Director to authenticate the certificate for and on behalf of the Central Government.

(7) No provisional certificate shall remain valid for a period exceeding one year from the date of its issue.

(8) A code number shall be assigned to each approved model and the code number so assigned shall be indicated in the certificate, or provisional certificate of approval as the case may be.

(9) Where the model of any weight or measure to which these rules are applicable and which are manufactured in accordance with the same principles of design, manufacture, and tests as the model of the approved model has been manufactured, the Director may, in an appropriate case, recommend that the approval may be accorded provisionally to enable it to conduct detailed tests and where in pursuance of such recommendation, provisional approval is granted, test may be carried out on such number of instruments under such conditions of installation and use as may be specified by the Director, and the tests at such place of use shall be detailed ones and of such duration and carried out on such number of weights or measures as may be specified by the Director.
9. Procedure where issue of certificate of approval is not recommended. - Where the recognized laboratory does not recommend the issue of a certificate of approval in relation to any model, it shall specify its reasons therefore to the Director who shall communicate such reasons to the applicant with such directions as he may think fit and thereupon the applicant may make a representation to the Director to the effect that the issue of the certificate of approval should have been recommended by the recognized laboratory and on considering such representation, the Director may either reject it or recommend to the Central Government the issue of certificate of approval.

10. Re-submission of disapproved model for approval. – (1) Where any model is not approved, the disapproved model may be re-submitted for approval after carrying out therein such modifications as may be necessary.

(2) Where any disapproved model is resubmitted for approval, it shall be deemed, for the purpose of levy of fees and tests under these rules, to be a fresh application for the approval of that model.

11. Contents of a certificate of approval. - (1) The certificate of approval shall also contain the following information's namely:

(a) the number of the certificate;
(b) a brief description of the model;
(c) the mark assigned to the approved model;
(d) the category of weight or measure;
(e) a brief statement of the results of the tests;
(f) the special conditions, if any, to be complied with for the manufacture, verification and use of weights or measures conforming to the model; and
(g) the place or places where the verification seal or stamp or both may be affixed.

(2) The certificate of approval shall become effective on and from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(4) The Director shall cause the necessary model certificate to be published in the official Gazette.

(5) The Director may also cause the information referred to in the foregoing sub-rules to be published in the journal, if any, published by the Central government.

12. Mark of approval. - (1) The mark assigned to the model shall contain the national identification letters, namely, IND, the last two digits of the year of the issue (for example, 77), the code number assigned to the laboratory and the code number assigned to the model.

(2) The mark assigned to the approved model shall be clearly and legibly affixed at such place of the model as may be specified in the certificate of approval and also on each weight or measure produced by the maker or manufacturer in accordance with the
approved model:
Provided that if the approved model of the weight or measure conforming to such model is such that the mark assigned to the approved model cannot be affixed on it (for example, where it is fragile or too small), that mark may be associated with the conditions specified in the certificate of approval:
Provided further that, where the approval is of a limited character, the mark of approval shall be accompanied by a special mark indicating the limitations of the approval and different special marks may be made for different limitations.

13. Revocation of certificate of approval. - (1) A certificate of approval may be revoked if the Central Government is satisfied that;
(a) the model which had been previously approved no longer complies with the units specified in the rules made under the Act, or
(b) the model has ceased to conform to the standards for the time being in force in relation to such model, or
(c) defects in regards to reliability, accuracy or performance have generally been noticed in the course of use of the products (weights or measures) manufactured in accordance with such model, or
(d) where the manufacturer does not following either wholly or partly, the conditions specified in the certificate of approval:
Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.
(e) where the manufacture or any other person has significantly altered the approved design of the model or the circuit diagram.
(2) Where the certificate of approval of any model has been revoked, the production of any weight or measure in accordance with such model shall be stopped on and from such date as may be specified in such order of revocation and every weight or measure made or manufactured at any time between the date of revocation and the specified date shall notwithstanding such revocation be subject to verification in accordance with the provisions of the Act and the rules in force on the date of such revocation:
Provided that where, on such verification, it is found that the use of any such weight or measure is likely to cause errors, beyond those permitted for such weight or measures, in any weight or measurement carried out with it, the Director may by order, prohibit the sue of such weight or measure.

14. Suspension of certificate of approval. - (1) A certificate of approval of a model may be suspended by the Director in the event of the omission or failure on the part of the holder of such certificate;
(i) to make or manufacture weights or measures in accordance with the model to which the certificate relates, or
(ii) to conform to the rules or standards in relation to any weight or measure manufactured in accordance with the model, or
(iii) to comply with the conditions specified in the certificate of approval:
Provided that no such suspensions shall be made except after giving to the holder of
the certificate a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where any certificate of approval has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission of failure for which such suspension was made has been made good.

(3) Where the certificate of approval has been suspended under sub-rule (1), an inventory of the existing stock shall be made by the Controller of Legal Metrology of the Concerned State who will also ensure that no further sale will be made unless the suspension of the certificate of approval is revoked by the Director.

15. Revocation and suspension of certificates to be published. - Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be published, as far as may be, in the manner specified in rule 11.

16: Deposit of Models or its drawings. - (1) The Director may call for any weight or measure, the model of which has been approved or any of its component, or its dummy, where he is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest.

(2) The approved models, parts, drawings or dummies, submitted in accordance with the sub-rules (1) shall be preserved for the purposes of record and reference and shall not be opened to inspection by the public.

17. Provisions relating to weight or measure for which model approval is ordinarily not necessary. - (1) For the purpose of approval of any model of any weights or measure, required under section 22 of the Act, the officer acquiring such weight or measure shall intimate to the Director the need for the testing of the model of such weight or measure, and, on receipt of such intimation, the Director shall, if he is satisfied that the model of such weight or measure needs testing, call upon the manufacture to produce such model for a test by the recognized laboratory specified by him:

Provided that where there is no model of the weight or measure so acquired it shall be the duty of the manufacturer to furnish, from the manufacturing line, one sample of the class of weight or measure and to produce such sample for test by the recognized laboratory specified by the Director.

(2) The recognized laboratory shall, as soon as may be practicable after carrying out the tests referred to in sub-rule (1), make a report to the Director as to the results of such test.

(3) If, on perusal, of the results of such test, the Director is satisfied that the model or sample, as the case may be, does not conform to the standards established by or under the Act, he shall call upon the manufacture to remove the deficiencies within such time as may be specified by him; and if the deficiencies are not removed within the time so specified, the license of the manufacture, in so far as it relates to the manufacture of the weight or measure, the model or sample of which was tested, shall be liable to be cancelled.

18. Provisions relating to testing of substitute materials. - (1) A substitute
material shall be sent by the manufacturer, within seven days from the date on which he commences manufacturing with the substitute material, to the Director who shall cause it to be forwarded to a recognized appropriate laboratory for approval.

(2) Where the substitute material is sent to a recognized laboratory for test, it shall conduct necessary test and determine whether the use of the substitute material shall serve the purpose for which the model was approved and in case the recognized laboratory is of the opinion that the substitute material is not suitable then the model shall be treated as a new model.

(3) The recognized laboratory shall forward its findings to the Central Government through the Director.

19. Fees for testing of model of weight or measure.-
(1) The applicant while making an application under rules, shall deposit fees for testing cost of the laboratory in the following manner:
(i) rupees five thousand in the form of a demand draft drawn in favour of the laboratory for the testing of mechanical type model of weights or measures or weighing and measuring instruments;
(ii) rupees ten thousand in the form of a demand draft drawn in favour of the laboratory for the testing of digital or electronic type model of weights or measures or weighing and measuring instruments intended to be manufactured for sale, purchase, distribution or delivery in the course of any trade or commerce.

(2) The applicant shall deposit half of the testing fees as specified in sub-rule (1) for testing of the substitute material.

20. Licence to manufacture weight or measure when to be issued.-
(1) Before issuing a licence to manufacturing or importing any weight or measure, the State Government shall satisfy itself that a certificate of approval of the model of such weight or measure has been granted by the Central Government under section 22 of the Act.

(2) When any certificate of any approval of model has been revoked by the Central Government the licence issued by the State Government for manufacturing or importing any weight or measure in accordance with such model shall stand suspended:
Provided that such suspension shall be vacated if such model is subsequently approved by the Central Government.

21. Repeal and savings.- (1) The Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed.
Provided that such repeal shall not affect:
(a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or
(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or
(d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.
And any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.
(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, license and registration of manufacturers, dealers, importers of weights and measures, or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these rules.
(3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules for licence, registration of manufacturers, importers and dealers of weights and measures pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any registration granted in pursuance thereof.
(4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.
(5) Any appeal preferred to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. WM 9(6)/2010-PL]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.